



Government Of Maharashtra

Office of the Director General of Police, Maharashtra State

Maharashtra State Police Headquarters, Shahid Bhagat Singh Marg, Colaba, Mumbai 400 001

क्र.पोमसं/९(NGO)/जीवन रक्षा पदक-२०२२/११०/२०२२ - 196

दिनांक: ०५/०५/२०२२

संदर्भ:- केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक १७/३/२०२२-पब्लिक, दि. १/४/२०२२.

विषय:- "जीवन रक्षा पदक-२०२२" करिता शिफारशी सादर करण्याबाबत.

\* \* \* \* \*

परिपत्रक:-

केंद्र शासनाकडून स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता मानवतेच्या दृष्टीकोनातून केलेल्या कामाबद्दल जीवन रक्षा पदक प्रदान करण्यात येते, यामध्ये पाण्यात बुडणाऱ्या घटना, अपघात, आगीच्या घटना, विद्युत शॉट सर्किटने घडणाऱ्या घटना, भुकंप, दरड कोसळणे, रानटी जनावराने केलेला हल्ला व खाणीमध्ये केलेले बचावकार्य ईत्यादीमध्ये स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता जीव वाचवितांना दाखविलेल्या शौर्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तिस दिला जातो.

केंद्र शासनाने १ ऑक्टोबर, २०२० नंतर घडलेल्या घटनांसाठी "जीवन रक्षा पदक-२०२२" प्रदान करण्यात येणार आहे. त्याकरिता महाराष्ट्र पोलीस दलातील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांच्या शिफारशी मागविल्या आहेत. सोबत केंद्र शासनाचे पत्र सहपत्रासह जोडले आहे.

जीवन रक्षा पदक हे खालील ३ प्रवर्गासाठी दिले जातात.

१. **सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक-** अत्यंत धोकादायक परिस्थितीमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा जीव वाचविताना बचावकार्य करणाऱ्या व्यक्तीच्या जीवाला आत्यंतिक धोका पोहचला असेल, अशावेळी अतुलनीय शौर्याचे प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्तींना पदक प्रदान करण्यात येते.
२. **उत्तम जीवन रक्षा पदक-** अत्यंत धोकादायक परिस्थितीमध्ये स्वतःचा जीव धोक्यात टाकून एखाद्या व्यक्तीचा जीव वाचवितांना दाखविलेले धैर्य व तत्परता दाखवून जीव वाचवणाऱ्या व्यक्तीला सदरचे पदक प्रदान करण्यात येते.
३. **जीवन रक्षा पदक-** एखाद्या व्यक्तीचा जीव वाचवितांना बचावकार्य करणाऱ्या व्यक्तीला गंभीर दुखापत होण्याच्या परिस्थितीत धैर्य व तत्परता दाखवून जीव वाचवणाऱ्या व्यक्तीला सदरचे पदक प्रदान करण्यात येते.

तरी, खालील सर्व पोलीस घटक प्रमुख यांना विनंती करण्यात येते की, ज्या पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी त्यांच्या जीवाची पर्वा नकरता त्यांनी केलेल्या शौर्यपूर्ण कामगिरीसाठी "जीवन रक्षा पदक-२०२२" प्रदान करण्याकरीता त्यांच्या शिफारशी विहित केलेल्या नमुन्यात दिनांक ३०/६/२०२२ पर्यंत न चुकता कृपया या कार्यालयास पाठवाव्यात.

(संजीव कुमार सिधल)

अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना)  
पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई यांचेकरिता

प्रति,

महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, म.रा., मुंबई

सर्व पोलीस आयुक्त (बृहन्मुंबई सह)

अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, म.रा., पुणे

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, म.रा., मुंबई

संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश विभाग व मोटार परिवहन म. रा., पुणे

अपर पोलीस महासंचालक, फोर्स वन, मुंबई / लोहमार्ग म.राज्य मुंबई/ नागरी हक्क संरक्षण,

म.रा., मुंबई/ प्रशिक्षण व खास पथके, म.रा., मुंबई / वाहतूक म.रा., मुंबई / रा.रा.पो.बल

म.रा., मुंबई /

दहशतवाद विरोधी पथक, म.रा., मुंबई / संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक /

संचालक, महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, वडाची वाडी, पुणे /

सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक / पोलीस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्रिय / महिला अत्याचार

प्रतिबंधक विभाग, म.राज्य मुंबई / मोटार परिवहन पुणे / रा.रा.पो.बल पुणे / सहा. पो.

उपनिरीक्षक नागपूर/ नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर/ सायबर सेल, मुंबई

सर्व पोलीस अधीक्षक (जिल्हा / रेल्वे / बिनतारी संदेश)

सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १ ते १६

सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र

प्राचार्य, गुन्हा अन्वेषण प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक

प्राचार्य, अपारंपारीक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर

प्रत पुढील कार्यवाहीसाठी,

पोलीस उपअधीक्षक, संगणक कक्ष,

२. सदरचे परिपत्रक परिपत्रक सहपत्रासह पोलीस महासंचालक यांचे संकेतस्थळावर "Jeevan Raksha Padak-२०२२" या शिर्षाखाली कृपया प्रसिध्द करावे.

Jt. CP (Adm)

3

पोलीस आयुक्त  
बृहन्मुंबई बॉम्बे कॉर्पोरेशन  
कक्ष २ (नोंदणी शाखा)  
नोंदणी क्र. : JAR-83266  
दिनांक : 12/04/2022  
कार्यासन : .....

No.17/3/2022-Public  
Government of India/Bharat Sarkar  
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya  
\*\*\*\*\*

**MOST IMMEDIATE**

1/2

North Block, New Delhi-110 001  
Dated the 31<sup>st</sup> March, 2022.

11 APR 2022

1. The Chief Secretaries of all State Governments
2. The Administrators of all UT Administrations
3. The Secretaries of all Ministries/Departments of the Govt. of India
4. The Member Secretary, National Disaster Management Authority.
5. The Directors General of all Central Armed Police Forces
6. The Director General, Railway Protection Force
7. The Director General, National Disaster Response Force
8. The Director General, Civil Defence & Home Guards.
9. The Director General, Fire Services.
10. DGPs of all State Governments/UT Administration.

01 APR 2022

Sub: Recommendations for Jeevan Raksha Padak series of awards-2022.

Sir/Madam,

Jeevan Raksha Padak series of awards are given for meritorious acts of humane nature in saving the life of a person in incidents like drowning, accidents, fire incidents, electrocution, land slides, animal attack and rescue operation in mines etc. As the name of the award suggests, **the award is given to a rescuer for saving someone's life.** It is given in the following three categories:-

- i) **Sarvottam Jeevan Raksha Padak** - awarded for conspicuous courage in saving life under circumstances of very great danger to the life of the rescuer.
- ii) **Uttam Jeevan Raksha Padak** - awarded for courage and promptitude in saving life under circumstances of great danger to the life of the rescuer.
- iii) **Jeevan Raksha Padak** - awarded for courage and promptitude in saving life under circumstances of grave bodily injury to the rescuer.

2. Persons of either sex in all walks of life are eligible for these awards. Members of the Armed Forces, Police Forces and of recognized Fire Service etc. are also eligible for these awards provided the life saving act is performed by them otherwise than in the course of their duty. The award is also conferred posthumously.

कक्ष-१ (गोपनाय शाखा)	700
दिनांक	19/04/2022
कर्मचारी	ड. कुयेकर
कनिष्ठ अधिकारी	
प्रशासनिक अधिकारी	

Jt. CP (Admin) Office	
Jt. CP (Admin)	Dr
Forward to	AO Desk-I
	18/04/22

1/14

3. Every year, the Ministry of Home Affairs invites recommendations from all State Governments/UT Administrations, Ministries/Departments of the Government of India, CAPF and other authorities for these awards. The recommendations are examined by a high-level Awards Committee, which makes its recommendations to the Prime Minister and the President.

4. After approval of the President, the decoration of the award, i.e., Medal and Certificate along with the Cheque of monetary allowance in respect of the awardees, are sent to the concerned recommending authorities.

5. Over the last few years, it has been observed that various acts of life saving by individuals during natural calamities, accidents, extremists attack, drowning/fire incidents etc. are reported in the print and electronic media. However, such valiant and gallant acts go unrecognized in the absence of suitable nominations by the State/UT Government and authorities under whose jurisdiction such acts take place. You would appreciate that awards and decorations are tangible tokens of recognition of the services rendered by an individual. Such awards encourage and motivate others for similar action in the hour of need. The concerned authorities are, therefore, requested to send suitable and deserving nominations to this Ministry for consideration. It may be noted that the recommendations for this award are considered by Awards Committee within a period of two years from the date of performance of the life saving act. **Therefore, for the year 2022, any recommendation in respect of which the date of performance of the act falls prior to 1<sup>st</sup> October 2020 should not be forwarded to this Ministry for consideration.**

6. The recommendations for the Jeevan Raksha Padak series of Awards can **only be sent through the password protected centralized online portal** designed by the Ministry of Home Affairs, (URL: [www.awards.gov.in](http://www.awards.gov.in)). The recommendations should contain all relevant details specified in the format available on the above said portal, including a citation in narrative form (maximum 250 words), clearly bringing out the sequence-wise details of the incident, courage and promptitude displayed by the rescuer and danger to life and also specific role/contribution of the person (rescuer).


7. A character and antecedent verification certificate duly signed and stamped by the recommending authority may be scanned and uploaded on the portal. A Performa of this certificate is available on website. A copy of same is enclosed with this letter. While recommending a person online, please make sure that all the necessary details including name of the recommended person in Hindi are filled properly.

8. It may be noted that the recommendations for Jeevan Raksha Padak series of awards for the year 2022 are to be **sent latest by 30<sup>th</sup> September 2022**. For online recommendations a user login I.D. and Password of each recommending authority will be sent separately.

9. You are therefore, requested to send an email from your official email **I.D. to sopub@nic.in** in order to get your Login I.D. and Password through email.

Encls. As above.

Yours faithfully,



(Vijay Kumar)

Deputy Secretary (Public)

Tele: 2309 2421

**CERTIFICATES FOR**  
**RECOMMENDATION OF JEEVAN RAKSHA PADAK SERIES OF AWARDS**

1. It is certified that the character and antecedents of \* \_\_\_\_\_ have been verified and it is confirmed that there is nothing adverse against him/her on record.
  
2. \*\* It is certified that \* \_\_\_\_\_ is a member of (i.e Army/Police/Fire Services etc.) \_\_\_\_\_ and life saving act for which this recommendation is being forwarded **was not preformed during the course of his/her duties.**

(Signature)

Name & Designation of the Recommending Authority

Date

\*Name of the recommended person(s)

\*\* Applicable only to members of Uniformed Services ( i.e Army/Police/Fire Services etc.)

सं.17/3/2022-पब्लिक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

\*\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 31 मार्च, 2022

सेवा में,

1. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव
2. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासक
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
5. सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक
6. महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल
7. महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
8. महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड्स
9. महानिदेशक, अग्निशामक सेवा
10. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनो के पुलिस महानिदेशक

**विषय:- जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रंखला-2022 के लिए संस्तुतियां।**

\*\*\*\*\*

महोदय/महोदया,

जीवन रक्षा पदक श्रेणी के पुरस्कार पानी में डूबने, दुर्घटनाओं, आग लगने की घटनाओं, बिजली का करंट लगने, भू-स्खलनों, जानवर द्वारा किए जाने वाले हमलों और खदानों में बचाव कार्य आदि जैसी घटनाओं में किसी व्यक्ति (यों) की जान बचाने में मानवीय प्रकृति के सराहनीय कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। जैसाकि पुरस्कार के नाम से यह स्पष्ट होता है कि **उक्त पुरस्कार, जान बचाने वाले व्यक्ति को, किसी का जीवन बचाने के लिए प्रदान किया जाता है।** यह पुरस्कार निम्नलिखित तीन श्रेणियों के प्रदान किए जाते हैं:-

- i. **सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक-** यह पदक जान बचाने वाले व्यक्ति को, जीवन के प्रति अत्यंत गंभीर खतरे की परिस्थितियों के बीच जाकर जान बचाने में उत्कृष्ट कोटि के साहस का परिचय देने के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. **उत्तम जीवन रक्षा पदक-** यह पदक जान बचाने वाले व्यक्ति को जीवन के प्रति गंभीर खतरे की परिस्थितियों के बीच जाकर जान बचाने में उसके द्वारा साहस और तत्परता का परिचय देने के लिए प्रदान किया जाता है।
- iii. **जीवन रक्षा पदक-** यह पदक, जान बचाने वाले व्यक्ति को गंभीर रूप से शारीरिक चोट लगने की परिस्थितियों के बीच जाकर जान बचाने में साहस और तत्परता का परिचय देने के लिए प्रदान किया जाता है।

2. इन पुरस्कारों के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति (महिला/पुरुष) पात्र हैं। सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और मान्यताप्राप्त अग्नि शमन सेवा आदि के सदस्य भी इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि उनके द्वारा निष्पादित किया गया जीवन-रक्षा का कार्य उनकी ड्यूटी के दौरान अन्यथा निर्वाह किए जाने वाले कार्यों से अलग हो। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है।
3. गृह मंत्रालय इन पुरस्कारों के लिए प्रत्येक वर्ष सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र-प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य प्राधिकारियों से सिफारिशें आमंत्रित करता है। इन सिफारिशों की जांच एक उच्च स्तरीय पुरस्कार समिति द्वारा की जाती है, जो अपनी सिफारिशें प्रधान मंत्री एवं राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है।
4. राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात्, पुरस्कार प्राप्तकर्ता के विषय में पुरस्कार-अलंकरण अर्थात् वित्तीय भत्ते के चेक सहित पदक और प्रमाण-पत्र संबंधित संस्तुतकर्ता प्राधिकारियों के पास भेज दिए जाते हैं।
5. पिछले कुछ वर्षों से यह देखा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं, चरमपंथियों के हमलों, डूबने/आग की घटनाओं आदि के दौरान लोगों द्वारा जान बचाए जाने के विभिन्न कृत्यों की सूचनाएं प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दी जाती हैं। तथापि, इस प्रकार के साहसी एवं पराक्रमी कृत्य जिन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार के तहत होते हैं, उनके द्वारा समुचित नामांकन न हो पाने के कारण उपेक्षित रह जाते हैं। आप इस बात को समझेंगे कि पुरस्कार और अलंकरण (पदक) किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सेवाओं के मान्यतास्वरूप मूर्त-प्रतीक हैं। ऐसे पुरस्कार, जरूरत पड़ने पर सदृश कार्रवाई के लिए अन्य लोगों को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देते हैं। संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस मंत्रालय के विचारार्थ उपयुक्त एवं पात्र नामांकन भेजें। यह भी नोट किया जाए कि इन पुरस्कार की संस्तुतियों पर, पुरस्कार समिति द्वारा जीवन रक्षा कृत्य के निष्पादन तारीख से दो वर्षों की अवधि के अन्दर विचार किया जाता है। **इसलिए, वर्ष 2022 के लिए कोई भी सिफारिश, जिसमें संबंधित कृत्य के निष्पादन की तारीख 01 अक्टूबर, 2020 से पहले की हो, इस मंत्रालय के विचारार्थ अग्रेषित नहीं की जानी चाहिए।**
6. जीवन रक्षा पदक श्रेणी के पुरस्कारों की संस्तुतियों को **केवल गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किए गए पासवर्ड प्रोटेक्टेड केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल (URL: [www.awards.gov.in](http://www.awards.gov.in))** के द्वारा ही भेजा जा सकता है। इन संस्तुतियों में, वर्णनात्मक प्रारूप में एक प्रशास्ति-पत्र (अधिकतम 250 शब्द) के सहित उपर्युक्त पोर्टल पर उपलब्ध फार्मेट में विनिर्दिष्ट समस्त प्रासंगिक विवरणों को, घटना के क्रमवार ब्योरे के साथ-साथ व्यक्ति (जान बचाने वाले व्यक्ति) के द्वारा प्रदर्शित साहस और तत्परता और जीवन के लिए खतरा और विशिष्ट भूमिका/योगदान का स्पष्ट उल्लेख करते हुए समाहित किया जाना चाहिए।
7. सिफारिशकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं मोहर लगा हुआ एक चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाणपत्र स्कैन किया जाए तथा इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इस प्रमाणपत्र का प्रोफोर्मा वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसकी एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। किसी व्यक्ति की ऑनलाइन सिफारिश करते समय कृपया यह सुनिश्चित कर लें, कि सिफारिश करने वाले व्यक्ति का हिन्दी में नाम सहित समस्त आवश्यक ब्योरा सही ढंग से भरा गया है।




8. इस बात को नोट किया जाए कि वर्ष 2022 के लिए जीवन रक्षा पदक श्रेणी के पुरस्कारों की सिफारिश हरहाल में **30 सितम्बर, 2022 तक भेज दी जाएं**। ऑनलाइन संस्तुतियों के लिए प्रत्येक सिफारिशकर्ता प्राधिकारी का यूजर आई.डी. और पासवर्ड अलग से भेजा जाएगा।

9. अतः, आपसे अनुरोध है कि ईमेल के जरिए अपना लॉगिन आई.डी. और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपने सरकारी ईमेल **आई.डी. से sopub@nic.in** पर एक ईमेल भेजें।

**संलग्नक: यथोपरि।**

भवदीय,



(विजय कुमार)

उप सचिव, (पब्लिक)

दूरभाष: 23092421

जीवन रक्षा पदक श्रंखला के पुरस्कार की सिफारिश के लिए प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि \* \_\_\_\_\_ के चरित्र और पूर्ववृत्त को सत्यापित कर लिया गया है और यह पुष्टि की जाती है कि रिकॉर्ड में उसके खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं है।
2. \*\*यह प्रमाणित किया जाता है कि \* \_\_\_\_\_ (सेना / पुलिस / अग्निशमन सेवा आदि) का एक सदस्य है और जीवन रक्षक कार्य, जिसके लिए यह सिफारिश अग्रेषित की जा रही है, उसकी इयूटी के दौरान नहीं किया गया था।

(हस्ताक्षर)

सिफारिश प्राधिकरण का नाम और पदनाम

तारीख

\* अनुशसित व्यक्ति का नाम

\*\* केवल वर्दीधारी सेवाओं (जैसे सेना / पुलिस / अग्निशमन सेवा आदि) के सदस्यों के लिए लागू

**PROFORMA FOR RECOMMENDATION OF JEEVAN RAKSHA PADAK SERIES  
OF AWARDS**

1.	Full Name in English (in Block letters)	:	
2.	Full name in Hindi ( <b>Compulsory</b> )	:	
3.	Father/Husband/Guardian's Name		
4.	Date of Birth/Age	:	
5.	Gender	:	Male/Female
6.	Complete postal address (with name of State, phone numbers etc.)	:	
7.	Whether recommendation is for Posthumous award?	:	Yes/No
8.	Name of the Next-of-kin along with relationship (in case of Posthumous award)	:	
9.	Date of incident  <b>Note: The life saving act prior to 01/10/2020 will not be considered).</b>	:	
10.	Number of lives saved.		
11.	Whether the recommended person is a member of the Uniformed Services (Armed Forces, Police Forces and of recognized Fire Services etc.) ?	:	
12.	If yes, whether the life saving act was performed during the course of duty or otherwise?	:	
13.	Whether the life saving act was an individual effort or a team work?		
14.	Whether any injury was suffered by the rescuer during the life saving act?	:	Yes/No
15.	If yes, Details of injury suffered by the rescuer?		

जीवन रक्षा पदक श्रंखला के पुरस्कारों की संस्तुति के लिए प्रोफार्मा

1.	पूरा नाम अंग्रेजी में (ब्लॉक अक्षरों में)	:	
2.	पूरा नाम हिंदी में (अनिवार्य)	:	
3.	पिता / पति / अभिभावक का नाम	:	
4.	जन्म तिथि / आयु	:	
5.	लिंग	:	
6.	डाक का पूरा पता (राज्य का नाम, फोन नंबर आदि के साथ)	:	
7.	क्या सिफारिश मरणोपरांत पुरस्कार के लिए है?	:	हाँ / नहीं
8.	निकटतम परिजन का नाम एवं मृत व्यक्ति के साथ संबंध (मरणोपरांत पुरस्कार के मामले में)	:	
9.	घटना की तारीख नोट: 01/10/2020 से पूर्व की घटनाओं पर विचार नहीं किया जायेगा	:	
10.	जीवन रक्षा कार्य के दौरान बचाये गए व्यक्तियों की संख्या	:	
11.	क्या अनुशासित व्यक्ति वर्दीधारी सेवाओं (सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और मान्यता प्राप्त अग्निशमन सेवाओं आदि) का सदस्य है?	:	
12.	यदि हाँ, तो क्या जीवन रक्षक कार्य ड्यूटी के दौरान किया गया था या अन्यथा?	:	
13.	क्या जीवन रक्षक कार्य एक व्यक्तिगत प्रयास था या एक टीम वर्क?	:	

14.	क्या जीवन रक्षक कार्य के दौरान बचावकर्ता को कोई चोट लगी थी?	हाँ / नहीं
15.	यदि हाँ, तो बचावकर्ता को लगी चोट का विवरण?	
16.	पुरस्कार की सिफारिश*  सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक / उत्तम जीवन रक्षा पदक / जीवन रक्षा पदक	
17.	क्या सम्बंधित व्यक्ति को कोई अन्य पुरस्कार दिया गया है या किसी अन्य पुरस्कार के लिए उसका नाम विचाराधीन है या किसी अन्य पुरस्कार के लिए वह पात्र है? कृपया विवरण दें, यदि कोई हो।	
18.	पहले प्राप्त किये गए जीवन रक्षा पदक श्रंखला पुरस्कार का विवरण, यदि कोई हो	पुरस्कार : वर्ष :

प्रशस्ति पत्र #

# यह जीवन रक्षक कार्यों का पूरा विवरण (अनुक्रम वार) लगभग 200 शब्दों के राइटअप के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए जिसमें बचावकर्ता द्वारा प्रदर्शित शौर्य एवं तत्परता का तथा उन परिस्थितियों में उसके जीवन पर आये खतरे का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, जीवन रक्षक कार्य के दौरान अगर बचावकर्ता को कोई चोट आदि आई हो तो उसका भी उल्लेख किया जाए। (अलग शीट संलग्न की जाए)।

\* अनुशंसित पुरस्कार की श्रेणी को अनिवार्य रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए

नोट : सभी columns को सभी मामलों में पूरा किया जाना आवश्यक है अन्यथा आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।